माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 2103/07 / प्रशा0 / MSU / 2023–24 दिनांक : 18-2-24

सेवा में,

01. प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. समन्वयक शैक्षणिक
विश्वविद्यालय परिसर

विषयः पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों में पुस्तकों को रैप न किये जाने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या–मु0स0–03 / सत्तर–3–2024, दिनांक : 13 फरवरी, 2024 के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या –128 / पी0एस0एम0एस0 / 2024, दिनांक : 24.01.2024 की प्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया यथा निर्देश आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन,
02. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण

संख्या–मु0स0–03/सत्तर–3–2024

प्रेषक,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 13 फरवरी, 2024**

विषय :पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों में पुस्तकों को रैप न किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–128/पी0एस0 एम0एस0/2024, दिनांक 24.01.2024 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य/मण्डल/जिला स्तर पर समय–समय पर भविष्य में आयोजित होने वाले पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा विमोचित की जाने वाली पुस्तक को मात्र रंगीन फीते द्वारा रैप किये जाने एवं अन्य अतिथियों को वितरित की जाने वाली पुस्तकों को किसी प्रकार से रैप न किया जाय, का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देशों दिये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–128/पी0एस0एम0एस0/2024, दिनांक 24.01.2024 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

13/02/24

(डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

Nikhil G D

संख्या- मु०स०-03 /सतर्क-3-2024

महत्वपूर्ण

संख्या : 128 /पी.एस.एम.एस./2024

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्त दिनांक 31.1.24

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

संख्या 5978/VIPPSHED/2023

लखनऊ : दिनांक : 25 जनवरी, 2024

विषयः पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों में पुस्तकों को रैप न किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य/मण्डल/जिला स्तर पर समय-समय पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रमों का आयोजित किया जाता है। इन पुस्तकों का अनावरण मुख्य अतिथि/गणमान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

2. प्रायः यह देखने में आया है कि इन पुस्तक-विमोचन कार्यक्रमों में पुस्तकों को कागज/प्लास्टिक के गिफ्ट पेपर से रैप किया जाता है तथा उन्हें अनावरित (unveil) करते समय मुख्य अतिथि तथा अन्य मंचासीन महानुभावों को काफी जूझना पड़ता है, साथ ही कागज/प्लास्टिक का रैप पेपर टेबुल पर कूड़े जैसा गंदा दिखता है। यह व्यवस्था स्वच्छता मिशन के सिद्धान्त Reduce, Reuse, Recycle के विपरीत है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी यह अनुकूल नहीं है। कागज बनाने के लिए पेड़ कटते हैं।

3. अस्तु, अनुरोध है कि भविष्य में मुख्य अतिथि द्वारा विमोचित की जाने वाली पुस्तक को मात्र रंगीन फीते द्वारा रैप किया जाए। अन्य अतिथियों को वितरित की जाने वाली पुस्तकों को किसी प्रकार से रैप न किया जाये। यह प्रैक्टिस स्वच्छता मिशन एवं पर्यावरण के अनुकूल होगी।

4. उपर्युक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

VS(M)
No-4717/VS(M)/HE/24
DS(M)/S-3
31/1/24

(डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।